-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा फर्जी आरटीओ, माइंस अधिकारी एवं एसडीएम बनकर वाहन चालकों से रंगदारी व अवैध वसूली करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध वसूली में प्रयुक्त चार पहिया वाहन, लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज एवं अन्य सामग्री बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस पुलिस द्वारा फर्जी आरटीओ, माइंस अधिकारी एवं एसडीएम बनकर वाहन चालकों से रंगदारी व अवैध वसूली करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 17.07.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में गश्त, अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक ई-रिक्शा चालक ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति चार पहिया वाहन में बैठकर स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर ई-रिक्शा चालकों से अवैध रूप से रंगदारी/धन वसूल रहे हैं। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल सभी अभियुक्तों को मवई बाईपास से पकड लिया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करते है। गिरोह के सदस्य सुनसान अथवा कम भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ई-रिक्शा, ट्रक एवं अन्य वाहनों को रोककर वाहन चालकों के फोटो खींचकर उन्हें चालान, वाहन सीज किए जाने अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही का भय दिखाकर अवैध रूप से धनराशि वसूलते हैं। इस प्रकार प्राप्त अवैध धनराशि को चारों अभियुक्त आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद समस्त माल तथा घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभियुक्तों ने अन्य किन-किन स्थानों पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ ही अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

1. 5400 रुपए नगद (रंगदारी/वसूली से प्राप्त)
2. एक चार पहिया वाहन (रंगदारी/वसूली में प्रयुक्त)
3. 01 लैपटॉप
4. 01 फाइल (जिसमें विभिन्न दस्तावेज)
5. 04 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ पुत्र तेज प्रकाश निवासी रिसदा थाना जनेहा जनपद रीवा (म0प्र0)।
2. कमल पुत्र मान सिंह निवासी चितरा गोकुलपुर थाना कोतवाली नगर कर्वी जनपद चित्रकूट।
3. राज कुमार पुत्र भैयालाल निवासी सीतापुर थाना कोतवाली नगर कर्वी जनपद चित्रकूट।
4. संतोष कुमार पुत्र दादूलाल निवासी भैरों पागल द्वारकापुरी थाना कोतवाली नगर कर्वी जनपद चित्रकूट।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 359/26 धारा 3(5)/204/308/318(4)/319(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय श्री दीपक कुमार सैनी
3. हे0 का0 राघवेंद्र सिंह
4. का0 जितेन्द्र सिंह
5. का0 पवन नायक
6. का0 मोहित शिवहरे
7. कां0 साकेत
8. कां0 इक़बाल